मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 4, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 61 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016, तथा

(ख) मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-2016,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम –

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 52 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014, तथा

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (म.प्र.) का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 31 मार्च, 2008,

पटल पर रखेंगे.

3. दिसम्बर, 2016 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267 - क के अधीन दिसम्बर, 2016 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, इछावर क्षेत्र के आबादी बाहुल्य ग्रामों को राजस्व ग्राम में शामिल न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, भोपाल दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु दोष पूर्ण निविदा की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. सभापति तालिका की घोषणा.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कुंवर जी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के -
(क) ग्राम डोबड़ाजोगी से संडावता तक सड़क का निर्माण किए जाने, तथा
(ख) ग्राम कोड़ियाखेड़ी में नेवज नदी के किनारे रिटेनिंगवॉल का निर्माण कराये जाने,
(2) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सीधी जिले के -
(क) ग्राम बंजारी के शा. हाई स्कूल पांड को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम निगरी के शा. हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल की बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कराये जाने,
(3) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम पठार के लाल पत्थर वाले क्षेत्र में अलग से पेयजल योजना प्रदाय कराये जाने, तथा
(ख) रीठी मुख्यालय में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के –
(क) ग्राम दूबी से महिया की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम गुढ़ में सिविल न्यायालय संचालित कराये जाने,
(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले की तहसील सनावद से कब्रिस्तान तक सड़क हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने,
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम दहलवाड़ा से मिढ़वानी तक की सड़क बनाये जाने,
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम पंचायत नयापुरा में पुल के समीप नाले का गहरीकरण किये जाने,
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम सुसनेर में पार्क/ बगीचा बनाये जाने,
(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम निजोर रेल्वे गेट से कामती तक पक्का मार्ग बनाये जाने,
(10) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9. स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री, पंचायत एवं नगरीय निकाय के अध्यापक संवर्ग की अन्तर्निकाय ऑनलाईन संविलियन की नीति के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 फरवरी, 2017